तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19 २ २१।	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित - वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, तहसीलदार माण्डल पटवार हल्का बावलास पटवारी रिपोर्ट व पैरोकार सरकार के जवाब का अध्ययन किया। विवादित आराजियात ग्राम बावलास पटवार हल्का बावलास तहसील-मांडल मे स्थित होकर पप्पु पिता रामसुख दरोगा सह्खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबंदी सं. 2073-2076 से होती है। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थी अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे पप्पू पिता रामसुख दरोगा के बजाय शम्भूसिंह पिता रामसुख दरोगा नाम अंकित करवाना चाहता है, जिसकी ताईद राशन कार्ड परिवार की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, पहचान पत्र की फोटो प्रति, भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा पेश प्रमाण पत्र आदि से होती है, उसी के अनुसार प्रार्थी अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहता है ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता नही हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं, अतः :: आदेश :: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर [illegible] ग्राम बावलास पटवार हल्का बावलास तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नम्बर 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1200, 1201, 1202, उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:52:28 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	1203, 1204, 1205, 1206 कुल किता 14 कुल रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा एंव खाता सं० 323 मे आराजी नं० 1177, 1178, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 कुल किता 08 कुल रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम पप्पू पिता रामसुख दरोगा के बजाय शंम्भू सिंह पिता रामसुख दरोगा अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है, उसी अनुसार भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:52:28 IST
Reason: SelfAttested